न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 42/2014 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

अंजना पत्नि कप्तान सिंह जाति जाट निवासी घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रनधीर सिंह पुत्र घूरे
2. धर्मेन्द पुत्र घूरे

} जाति जाट नि0 ग्राम बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

3. मछला पुत्री घूरे पत्नि देवेन्द्र सिंह
4. मिथलेश पुत्री घूरे पत्नि खेम सिंह
5. विमलेश पुत्री घूरे पत्नि हरेन्द्र सिंह

} जाति जाट नि0 नगला कुरवारिया तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. ममता पुत्री घूरे
7. सुरेन्द्र सिंह पुत्र कजोडी
8. वीरेन्द्र पुत्र कजोडी
9. रविन्द्र पुत्र कजोडी
10. रंजना पुत्री कजोडी
11. घूरे पुत्र अजीराम
12. कजोडी पुत्र अजीराम

} जाति जाट निवासी ग्राम बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दिनांक 02.09.213 उनवानी रणधीर सिंह बनाम घूरे मु0न0 42/2013

उपस्थितिः–

1. वकील अपीलांट श्री कृष्ण कुमार सिंघल अनुपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री लालेराम उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 08.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 02.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 161 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा वाके ग्राम बल्लभगढ तहसील वैर को संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति दर्शित करते हुए, अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनवाई करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2013 से अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध, जबाव प्रस्तुत करने तक स्थगन आदेश पारित कर दिया। उक्त स्थगन आदेश का जबाव अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.01.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर दिया। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश को आगामी पेशी दिनांक 28.02.2014 तक बढा (EXTEND) कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलाण्ट को अन्तरिम स्थगन पर एक पक्षीय सुना जाकर आदेश दिनांक 24.11.2014 से अग्रिम पेशी तक अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रैस्पो0 द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की गई, जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 22.06.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2014 को निरस्त कर प्रकरण एक माह में निस्तारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

3. मूल अपील पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से प्राप्त होने पर पेशी में ली गयी। अपीलाण्ट व अभिभाषक अपीलाण्ट को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी उपस्थित नहीं आये। बहस रैस्पो0 एक पक्षीय सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा अन्तरिम आदेश की अपील की गई है। नियमानुसार अन्तरिम आदेश की अपील लाई नही करती है। यदि स्थगन आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट को कोई उज्र था, तो अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिए था। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नही किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस रैस्पो0 के तर्को पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2013 को, रैस्पो0/वादी के पक्ष में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है, जो 22.01.2014 को अग्रिम पेशी तक बढाया गया है। हम पाते हैं कि दिनांक 22.01.2014 का आदेश, प्रस्तुत नकल आदेशिका अनुसार अपीलाण्ट/प्रतिवादी की उपस्थिति में, रैस्पो0/वादी के स्थगन आदेश की अवधि बढाये जाने के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम पेशी तक बढाया गया है एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा स्थगन आदेश बढाये जाने का कोई प्रतिरोध उक्त पेशी दिनांक 22.01.2014 अथवा पश्चातवर्ती पेशियों पर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2013 एक अन्तरिम आदेश है, विधि अनुसार अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है। उक्त अपीलाधीन स्थगन आदेश के विरूद्ध यदि अपीलाण्ट/प्रतिवादी को कोई उज्र था, तो अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिए था। अतः अपील संधारणीय नहीं होने के कारण, हम खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0का0अ0 का अधिकतम एक माह में विधि अनुसार निस्तारण करें। उभयपक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official